(37)

(37)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/बैतूल/भू.रा./2017/4926 विरूद्ध आदेश दिनांक 09.11.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 222/अपील/16-17.

दशरथ मालवी आ. अनंतराम मालवी, वयस्क

निवासी ग्राम व तहसील चिचोली,

जिला बैतूल, म.प्र. .....आवेदक

विरूद्ध

श्रीमती पुष्पा आर्य पत्नी विजय आर्य,

निवासी ग्राम व तहसील चिचोली

जिला बैतूल, म.प्र. .....अनावेदक

श्री यशवंत साहू, अभिभाषक, आवेदक

श्री रमेश सक्सेना, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/9/18 को पारित)

आवेदक द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 09.11.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि मौजा सोनपुर स्थित भूमि खसरा नं. 20/5 रकबा 0.405 हैक्टेयर भूमि अनावेदिका पुष्पाबाई के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। अनावेदिका द्वारा उक्त प्रश्नाधीन भूमि का सीमांकन कराये जाने पर सीमांकन दिनांक 08.12.2014 के अनुसार रकबे के अनुसार नक्शे का मिलान होना नहीं पाये जाने पर नक्शा दुरूस्त करने हेतु प्रतिवेदित किया गया। अनावेदिका द्वारा तहसीलदार, चिचोली जिला बैतूल के समक्ष प्रश्नाधीन भूमि पर रकबे के अनुसार नक्शा दुरूस्त करने का आवेदन प्रस्तुत किया गया। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 04/अ-3/14-15 दर्ज कर दिनांक 23.03.2015 को राजस्व अभिलेख में नक्शा दुरूस्ती की कार्यवाही किये जाने हेतु आदेश पारित किया गया। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी, बैतूल के समक्ष प्रथम अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 05.08.2015 को आदेश पारित कर तहसीलदार का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध अनावेदिका श्रीमती पुष्पाबाई द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष द्वितीय अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त ने दिनांक 09.11.2017 को आदेश पारित कर अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त करते हुए अपील स्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक द्वारा प्रकरण पत्रिका में प्रस्तुत दस्तावेजी एवं मौखिक साक्ष्य का सूक्ष्मतापूर्वक अवलोकन, परिशीलन, विवेचन, विश्लेषण किये बगैर प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित करने में महान गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि विधि का प्रतिपादित सिद्धांत है कि संहिता की धारा 107 के प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में नक्शा दुरूस्ती का प्रकरण श्रवण एवं निराकरण का क्षेत्राधिकार कलेक्टर को है, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इस महत्वपूर्ण वैधानिक बिंदु का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किए बगैर क्षेत्राधिकार रहित प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश पारित करने में महान गंभीर वैधानिक त्रुटि की है। तर्क में यह भी कहा गया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नक्शा दुरूस्ती का आदेश पारित करने के पूर्व आवेदक को कोई भी सूचना पत्र प्रेषित नहीं किया गया और न ही उद्घोषणा या इश्तहार जारी किया गया। आवेदक को प्रकरण के किसी भी प्रक्रम पर अपने युक्तियुक्त पक्ष समर्थन, सुनवाई का अवसर ही प्रदान नहीं किया गया। इस कारण भी प्रश्नाधीन आलोच्य आदेश वैधानिक एवं न्यायिक प्रक्रिया के विरूद्ध होने से प्रथम दृष्टया निरस्ती योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि विचारण न्यायलय द्वारा प्रकरण में न तो आवेदक दशरथ मालवी की साक्ष्य अंकित की गई और न ही दस्तावेजों को प्रदर्शित किया गया और न ही आवेदक को जवाब प्रस्तुति तथा

साक्ष्य प्रस्तुति का अवसर प्रदान किया गया। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित आलोच्य आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदक के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद एवं तहसील न्यायालय, चिचोली द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किया गया है, जिनमें हस्तक्षेप का कोई आधार इस निगरानी में नहीं है। अतः उनके द्वारा निगरानी निरस्त कर अपर आयुक्त द्वारा पारित आदेश यथावत् रखने का अनुरोध किया गया।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसील न्यायालय में बिना सभी प्रभावित पक्षों को सुने रकबा बरारी की कार्यवाही की गई। सर्वे नम्बर 20 में 7 बटांक है, लेकिन तहसीलदार ने सभी को सुने बिना आदेश पारित किया, अनुविभागीय अधिकारी ने इसी आधार पर तहसीलदार का आदेश निरस्त किया था। अपर आयुक्त द्वारा तहसीलदार के आदेश का गुण-दोषों पर निरीक्षण किए बिना अनुविभागीय अधिकारी का आदेश निरस्त कर दिया, जबकि अनुविभागीय अधिकारी का आदेश वैधानिक स्थिति को देखते हुए उचित था।, जिसे निरस्त करने में अपर आयुक्त द्वारा त्रुटि की गई है। अतः अपर आयुक्त का आदेश निरस्त कर अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि की जाती है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.11.2017 निरस्त किया जाता है। निगरानी स्वीकार की जाती है।

(मनोज गोयल)

अध्यक्ष

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश

ग्वालियर